पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8481 /अका./ 2012 रायपुर, दिनांक : 25/09/2012

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 20वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2012 को साय 5:00 बजे महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के प्रस्ताव क्रमांक 7 Revised Regulation 129, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम 2009, विश्वविद्यालय ने विनियम 129 के द्वारा अनुकूलन करते हुए प्रभावशील कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त विनियम में प्रथम संशोधन अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया है (भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2012 में प्रकाशित) संशोधन विनियम को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् में अपनी बैठक दिनांक 07.05.2012 अनुकूलन कर लिया है, कि सूचना ग्रहण कर अनुमोदित किया गया है।

संशोधित विनियम 129

(E.C. under 07-05-2012)

1. संक्षिप्त नाम, उपयोजन तथा प्रारंभ

1.1* यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012 के नाम से जाना जाएगा।

1.2 ये विनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

1.3 यह तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

2 परिभाषाएं : इन विनियमों में :

2.1 "सम्बद्धता" तथा इसके व्याकरणिक रूपभेदों में किसी कालेज के संबंध में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कालेज को मान्यता प्रदान करना उसके साथ इस प्रकार के कालेज का सहयोजन, इस प्रकार के कालेज को विश्वविद्यालय राज्य विशेषाधिकारों प्रदान करना शामिल है।

2.2 "कालेज" का अर्थ किसी संस्थान से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो 12 वर्षों के स्कूली पाठ्यक्रम के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार का अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए और अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस प्रकार की अर्हता प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षमकारी मान्यता प्रदान की गई हो।

2.3 "आयोग" का अर्थ है एक वि.अ.आ. अधिनियम के तहत् स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

2.4 "पाठ्यक्रम" का अर्थ है एक इकाई जिसमें एक अध्ययन कार्यक्रम शामिल होता है;

Contd.

2.5* "2.5 'अनुदान सहायता प्राप्त महाविद्यालय' से तात्पर्य 'एक ऐसे महाविद्यालय से है' जो कि अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है।"

2.6 "कार्यक्रम" / "अध्ययन कार्यक्रम" का अर्थ है वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत् आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है;

2.7* "सांविधिक / नियामक निकाय" से तात्पर्य है एक ऐसा निकाय जिसे किसी केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है ताकि उच्चतर शिक्षा के सापेक्ष क्षेत्रों में मानकों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया जा सके।

2.8 "छात्र" का अर्थ एक व्यक्ति जिसे एक विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन हेतु दाखिल दिया जाता है।

3. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड:

3.1* सम्बद्ध का इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय निम्न अनिवार्यताओं को पूरा करेगा अथवा सांविधिक / विनियामक निकाय द्वारा ऐसी अनिवार्यताओं को पूरा करेगा जो केवल तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हों।"

3.1.1* यदि वह भूमि किन्हीं बड़े शहरों में स्थित है तथा उसका विस्तार 1.5 एकड़ से कम नहीं है, यदि यह महानगरों में स्थित है तथा इसका विस्तार 2 एकड़ हो अथवा यदि यह अन्य नगरों में स्थित है तो इसका विस्तार 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए तथा इसका विवाद रहित स्वामित्व एवं अधिकारिता हो एवं वह भूमि किसी भी ऋण भार से मुक्त होनी चाहिए।

बशर्ते, यह उप–धारा ऐसे महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी, जो कि पहले से भारत में विद्यमान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं।

बशर्ते, बड़े शहरों में अपेक्षाकृत कम विस्तृत भूमि की आवश्यकता का विश्वविद्यालय के पाठ्योत्तर एवं बाह्य क्रियाकलापों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बशर्ते, "पहाड़ी क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता, जो समीपथ हो अथवा उन ऐसे तीन स्थानों पर जिनकी परस्पर दूरी 2 कि.मी. से अधिक न हो।

3.1.2 प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ–साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिए तथा वि.अ.आ. / सांविधिक / संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कालेज में निर्मित सभी भवन निशक्त अनुकूल होने चाहिए।

Contd.

3.1.3* संकायों, व्याख्याताओं, सम्मेलन कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं को एक ऐसे अकादनिक भवन में स्थापित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रति छात्र 15 वर्ग फुट क्षेत्र व्याख्यान कक्ष/संगोष्ठी कक्ष/पुस्तकालय में विद्यमान हों तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट होना चाहिए :

बशर्ते, यह उप-धारा उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही भारत में विद्यमान महाविद्यालयों से सम्बद्ध है।

3.1.4 शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।

3.1.5* जल, विद्युत, वायुसंचारण/शौचालयों, सीवरेज आदि पर्याप्त नागरिक सुविधाएँ केन्द्र/राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रदान की जाएँ।

3.1.6* सुरक्षा, संरक्षा एवं प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए पर्याप्त उपाय।

3.1.7 कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रंथालय, अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग-अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा संदर्भ-पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वि.अ.आ. द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिए;

3.1.8 प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा यथा विहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिए।

3.1.9 एक बहुउद्देश्य काम्प्लेक्स/एक प्रेक्षागृह तथा खेल-कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्णित लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक 'कामन रूम' तथा पृथक छात्रावास;

3.1.10 भाषण/संगोष्ठि कक्षों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालय, संकाय कक्षों तथा प्रशासनिक स्टॉफ सहित प्राचार्य के कक्षों के लिए और बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स/प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रवास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त फर्नीचर;

3.1.11 विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक यथोचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय।

3.2 यदि कालेज राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो, तो

3.2.1 इसका प्रबंधन यथोचित रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा;

3.2.2 यह विश्वविद्यालय को संतुष्ट करेगा कि कालेज को कम से कम तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है। विशिष्ट रूप से, 15 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम की अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से कालेज के नाम पर स्थायी कायिक निधि के सृजन तथा उसके रख-रखाव का

साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यदि कालेज का प्रस्ताव केवल मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में कार्यक्रम चलाने का है तो जैसाकि संगत सांविधिक/विनियामक निकाय में विहित है अथवा 35 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम, यदि इसका पेशेवर कार्यक्रम की पेशकश करने का विचार है तो इसी राशि की न्यूनतम तीन वर्षों की 'लॉक इन' अवधि की सावधि जमा जो कालेज तथा विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए, करवायी जानी चाहिए। इससे प्राप्त ब्याज का कालेज द्वारा अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से उपयोग किया जा सकता है;

3.2.3 कालेज विश्वविद्यालय को एक वचन भी देगा कि इसके पास सतत् और कार्यकुशल ढंग से कार्य करने के लिए इसके अपने स्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय है।

3.3 पंजीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध इमारत में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियम के तहत् पूरा किया गया है तथा कालेज पैरा 4.4.6 तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक कालेज को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर कालेज की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि कालेज स्थायी भवन में स्थानांतरित नही हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

3.4 किसी कालेज का प्रस्ताव करने वाली पंजीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा :–

3.4.1 केवल उन विषयों को पढ़ाया जाएगा तथा केवल उन्हीं संकायों में केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को चलाया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसे सम्बद्ध किया गया है तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमो/कार्यक्रमो के लिए विश्वविद्यालय के समुचित शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.2 अधिनियम के सभी उपबंधों परिनियमों तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी अध्यादेश, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।

3.4.3 समय–समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा जारी नियमों, विनियमो तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।

3.4.4. इस प्रभाव तक कि वि.अ.आ. द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तें, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि.अ. आ. के परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों के अनुरूप होगी तथा कालेज द्वारा आरंभ किए

Contd.

जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा कालेज में छात्र–शिक्षक अनुपात वि.अ.आ. मानदण्डों के अनुसार होगा:

3.4.5 इस प्रभाव तक कि शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ को नियमित रूप से वि.अ.आ. /केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा।

3.4.6 इस प्रभाव तक कि शिक्षण व गैर शिक्षा स्टॉफ के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।

3.4.7 इस प्रभाव तक कि कालेज को सम्बद्धन प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर अर्हता संबंधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा शिक्षण स्टॉफ में सभी परिवर्तन तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जोकि विश्वविद्यालय को सम्बद्धन प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।

3.4.8 इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय–समय पर वि.अ.आ. के मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।

3.4.9 इस प्रभाव तक कि कालेज, वि.अ.आ. द्वारा मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षक द्वारा तथा उनकी ओर से कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढावा मिलता हैं।

3.4.10 इस प्रभाव तक कि कोई भी कालेज किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटें की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

3.4.11 इस प्रभाव तक कि कालेज विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को समाप्त नहीं होगा।

3.4.12 इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए शैक्षणिक तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर कालेज द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

3.4.13 इस प्रभाव तक कि वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा विनियामकों/आदेशों के तहत रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3.4.14 इस प्रभाव तक कि कालेज, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को वि. अ.आ./विश्वविद्यालयों/सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए

रखने के संबंध में कालेज के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु वि.अ. आ./विश्वविद्यालय/सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

4 **अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया**

4.1 नए कालेज को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थान तथा पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.2 यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत् या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के तहत आवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।

4.3 सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका कालेज आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में कालेज पड़ता है वह विनिर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्रारूप में विश्वविद्यालय के कुल–सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।

4.4. आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए:–

4.4.1 सोसायटी/न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;

4.4.2 भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र

4.4.3 संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र;

4.4.4 आवेदक के नाम में पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;

4.4.5 सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिए सोसायटी/न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का ब्यौरा।

4.4.6 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;

4.4.7 प्रस्तावित कालेज के लिए पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कालेज के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो;

4.4.8 खंड 3.2.2 के तहत यथा विनिर्दिष्ट चिन्हित कायिक निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति तथा संगत बैंक खातों की ब्यौरा।

4.4.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें निम्नवत् ब्यौरा दिया गया है–

(क) शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी/न्यास की पृष्ठभूमि; इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा इसके आरंभ होने से सामाजिक धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;

Contd.

(ख)समय–वार कालेज की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमो/अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं, जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल है, के विकास के लिए स्तर–वार समय अनुसूची।

(ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;

(घ) सकाय नियुक्ति, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने तथा विकास के सबध मे नीति;

(ड) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;

(च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत; और

(छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उपयोग अनुसूची।

4.5 विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक सत्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।

4.6 कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय कालेज का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् शामिल होंगे:–

4.6.1 प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;

4.6.2 कालेज विकास परिषद् का डीन/विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्;

4.6.3 सरकार के उच्च शिक्षा विकास का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और

4.6.4 कुलपति द्वारा यथा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जोकि प्रोफेसर के स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

4.7 अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति रिपोर्ट विधिवत् रूप से भर कर तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने उचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा कालेज को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा, तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

4.8 कालेज में उपलब्ध अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय कालेज में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।

4.9* विश्वविद्यालय संघ/कार्यकारी परिषद् की सम्बद्धता को प्रदान अथवा प्रदान न करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

4.10 कालेज के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

Contd.

4.11 यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते कालेज को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह सम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि बाद में कालेज शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की तिथि से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

5. स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड

5.1 कालेज को समय–समय पर विश्वविद्यालय/वि.अ.आ./सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।

5.2 कालेज द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्क/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।

5.3 सभी शैक्षणिक तथा गैर–शैक्षणिक स्टॉफ को वि.अ.आ./सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी कालेज के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

5.4 कालेज में मानदण्डों के अनुसार विधिवत रूप से गठित कालेज परिषद् होनी चाहिए।

5.5* ऐसे महाविद्यालय को राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन समिति (NAAC) अथवा अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायित किया जाएगा।

6 स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

6.1 जो कालेज स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, उसे अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूरे करने पर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क सहित प्रारूप में आवेदन करना चाहिए।

6.2 स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, विनियमों में दी गई अस्थायी सम्द्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जैसी ही होगी।

6.3 यदि विश्वविद्यालय कालेज को स्थायी सम्बद्धता प्रदान न किए जाने का निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, तत्पश्चात् यदि कालेज शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो कालेज पूर्व में किए गए आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से छह माह पश्चात् पुनः आवेदन कर सकता है।

7. अध्ययन के नए कार्यक्रमों को जोड़ने हेतु आवेदन करने की पात्रता

7.1 विश्वविद्यालय द्वारा नया कार्यक्रम जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल उच्च शिक्षा हेतु सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा, ऐसा विशेष रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, अविकसित, ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के बाद ही किया जाएगा।

7.2 मौजूदा स्नातकपूर्व कालेज के स्तर को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकपूर्व कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के बाद तथा विनियम के अनुसार प्रस्तावित भवन, योग्य संकाय तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

7.3 नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा मौजूदा कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए।

Contd.

7.4 अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्द्धता प्रदान करने तथा कालेज में मौजूदा कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रक्रिया के समान ही होगी।

8 सम्बद्धता समाप्त करना

8.1 यदि जांच करने पर कालेज, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा वि.अ.आ./विश्वविद्यालय/सांविधिक/संबधित विनियामक निकाय के अन्य निर्देशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्द्धता किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से कालेज को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें आशोधन किया जा सकता है।

8.2 यदि कोई सम्बद्ध कालेज करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो कालेज को प्रदत्त सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण पर हस्तांतरण, जैसा भी मामला हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया कालेज माना जाएगा। विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

8.3 विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की जांच करवा सकता है तथा कालेज को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान कर, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा (12 क) (4) के तहत इस प्रकार के कालेज को इस प्रकार के विर्निदिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और कालेज की सम्बद्धता वि.अ.आ. अधिनियम की धारा (12 क), (5) के तहत समाप्त मानी जाएगी।

8.4 अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस लेने के निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत् थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत् कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

9 ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने अवमानक महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की है अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पर जो आयोग द्वारा निर्धारित नियमनों का अनुपालन करने में असमर्थ रहे हैं उन पर दण्ड का प्रावधान

9.1 यदि कोई विश्वविद्यालय किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करता है जो विनियमों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते है या अगर विश्वविद्यालय,

Contd.

वि.अ.आ. अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को बंद करना तथा/अथवा आयोग द्वारा वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत अनुरक्षित सूची से विश्वविद्यालय का नाम हटाना शामिल है।

9.2* कोई भी ऐसा महाविद्यालय जिसे अनुच्छेद 2 (एफ) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जो अनुच्छेद 12(बी) अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहा है, ऐसा महाविद्यालय यदि विभिन्न नियमनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी दशा में आयोग कोई भी उचित कार्रवाई करेगा जिसमें विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान को रोका जाएगा अथवा उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों की सूची में से, जो अनुच्छेद 2 (एफ) एवं/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 12(बी) के अन्तर्गत है, उस महाविद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्र. 8482 /अका./2012 रायपुर, दिनांक: 25/09/2012

प्रतिलिपि :

01. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा छ.ग. शासन, मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
04. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
05. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

25/9/12

प्रभारी अधिकारी (अका.)

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता)(प्रथम संशोधन) विनियम 2012

D:/ shi 08/lttaram08/371